

प्रतिलिपि :- यह आदेश, आदेश पत्रिका में जो कि न्यायालय वाचस्पति मिश्र, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट शृंखला न्यायालय बैहर द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र क्रमांक-बी.ए. 22/2018, धारा 439 दं.प्र.सं. के संदर्भ में आज दिनांक 27.04.2018 को पारित किया गया, जिसके पक्षकार निम्नानुसार है :-

फैज़ उर्फ सोनू खान उम्र 22 वर्ष पिता सिराज खान
निवासी-वार्ड नंबर 13 तहसील व थाना बैहर
जिला बालाघाट म0प्र0 - - - आवेदक ।

// **विरुद्ध** //

म.प्र.शासन द्वारा :-आरक्षी केन्द्र बैहर
तहसील बैहर जिला-बालाघाट - - - अनावेदक ।
- -0- -

{आदेश दिनांक 27/04/2018 की प्रतिलिपि}

27-04-2018

यह जमानत आवेदन पत्र फाईलिंग सेंटर से B.A./22/2018 पर दर्ज होकर वापस प्राप्त ।
आवेदक द्वारा सुश्री कमरुन्निशा सिद्धीकी अधिवक्ता उपस्थित ।
राज्य द्वारा श्री अभिजीत बापट अपर लोक अभियोजक उपस्थित ।
आरक्षी केन्द्र बैहर के अपराध क्रमांक 64/2018 की केस डायरी मय प्रतिवेदन के प्राप्त ।
प्रथम जमानत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए ।

आवेदक की ओर से सुश्री कमरुन्निशा सिद्धीकी अधिवक्ता ने तर्क कर निवेदन किया कि आवेदक को दुर्भावनापूर्वक झूठा फंसाया गया है। अपराध से अनभिज्ञ है, संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। आवेदक शर्तों का पालन करेगा, इसी जिले का स्थायी निवासी है। आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन पत्र है, इसके अलावा माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के न्यायालय में आवेदन विचाराधीन या लंबित नहीं है, आवेदन स्वीकार किए जाने की याचना की है।

राज्य/अनावेदक की ओर से श्री अभिजीत बापट अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र पर विरोध जाहिर कर निरस्त किए जाने की याचना की।

उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। केस डायरी का अध्ययन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक के विरुद्ध थाना बैहर में अपराध क्रमांक 64/18 दिनांक धारा 457, 380 भा.द.वि. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आवेदक दिनांक 23.04.18 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। विवेचना अपूर्ण है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। अतः इस न्यायालय के अभिमत में आरोपी को कठोर शर्तों के तहत जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः आवेदक की ओर से पेश प्रथम जमानत आवेदन पत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है कि—

1— आवेदक प्रत्येक पेशी तारीख पर प्रातः 11 बजे उपस्थित रहकर विचारण में सहयोग करेगा।

2— आवेदक साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा, कि शर्त के साथ यदि आवेदक 25,000/—(पच्चीस हजार) रूपए की सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य पेश करे तो रिहाई आदेश जारी हो।

आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय की ओर पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश की एक प्रति थाना बैहर के अपराध क्रमांक 64/2018 की केस डायरी के साथ संलग्न कर सूचनार्थ भेजी जावे।

परिणाम दर्ज कर, क्रमांक से निरस्त कर, अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।

सही / —

(वाचस्पति मिश्र)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट

श्रृंखला न्यायालय बैहर

प्रतिलिपि :

1— न्यायालय न्या.मजि.प्र.श्रे. बैहर की ओर एक प्रति सूचनार्थ पालनार्थ।

2— थाना बैहर के अपराध क्रमांक 64/18 की डायरी के साथ संलग्न कर सूचनार्थ।

सही / —

(वाचस्पति मिश्र)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट

श्रृंखला न्यायालय बैहर